राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

वेबसाईट– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in ई–मेल– caodlb@gmail.com टेलीफोन/फैक्स नं – 0141–2223074

क्रमांक/प.6(ट)(320)लेखा/लेखा/14एफसी/निष्पादन अनु./2016–20/ 7418–8188 दिनांकः 2.8.17

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त।

विषयः– निकायों को 14वें वित्त आयोग के तहत (वित्त वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक) निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी DO Letter के संबंध में।

नगरीय निकायों द्वारा 14वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु सचिव महोदय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने DO No. N-11025/63/2015-LSG दिनांक 27.4.2017 एवं 14.07.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा सभी निकायों को निष्पादन अनुदान प्राप्ति (वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20) हेतु पात्रता मापदण्ड एवं आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण किया है। सभी निकायों को निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु निम्न तीन पात्रता मापदण्डों को पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिये शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिकतम 100 अंक निर्धारित किये है, जो निम्न प्रकार हैः–

निर्धारित मापदण्ड	शर्त	अधिकतम निर्धारित अंक	निकाय द्वारा न्यूनतम अंक प्राप्त किया जाना
A	वित्त वर्ष 2015–16 के वार्षिक अंकेक्षित लेखों को निकाय की विभागीय वेब साईट पर अपलोड किया जाना है।	*10	निकाय द्वारा निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु उपरोक्त निर्धारित 100 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
B	निकायों के स्वयं के निजी स्त्रातों से आय में वृद्धि	40	
C	निकाय द्वारा सर्विस लेबल बैंच मार्क का प्रकाशन किया जाना	50	
	कुल अंक	100	

* प्रत्येक नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड A में उल्लेखित शर्त को पूरा करते हुए निर्धारित 10 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त तीनों मापदण्डों की सीमा (Range) भी निर्धारित की है जो कि निकाय की उपलब्धि के आधार पर निकाय द्वारा स्वतः स्वयं का मूल्यांकन किया जाकर अपनी Achivement Range के आधार पर Marks Allot किये जाना है एवं कुल 60 Marks का अर्जन किया जाना अनिवार्य है।

निकायों को निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित प्रक्रिया विस्तृत रूप से निम्न प्रकार है।

<u>निर्धारित मापदण्डों का पूर्ण विवरण</u> –

<u>मापदण्ड A</u> -

(Audit of Annual Accounts for Financial Year 2015-16 & 2016-17) के संबंध में

(अधिकतम अंक 10)

Achievement Range	Yes	No
निकाय की विभागीय Website पर वित्त वर्ष 2015–16 के वार्षिक अंकेक्षित लेखों का अपलोड किया जाना	10	0

Scanned by CamScanner

मापदण्ड B -

Increase in Own Revenue Sources

निकाय द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 के वार्षिक अंकेक्षित लेखों में निकाय की निजी आय में वृद्धि (वित्त वर्ष 2014–15 के वार्षिक अंकेक्षित लेखों की तुलना में)

इसके अतिरिक्त निम्न दो मापदण्ड को भी पूरा किया जाना अनिवार्य है।

Part A - निकाय के संस्थापन और संगठन एवं प्रबंध के खर्चो को निकाय की स्वयं आय द्वारा Recover किया जाना।

(Maximum Marks 20)

Achievement Range	More Than 70%	Between 60% to 70%	Between 50% to 60%	Less Than 50%
Marks	20	15	10	0
निकाय द्वारा अपने संगठन एवं प्रबंध के खर्चे (जैसे संस्थापन, वेतन) आदि को स्वयं की आय (चूंगी, प्रवेशकर, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादी को छोडते हुए) से Recover किया जाना।				

Part B - निकाय द्वारा किये जा रहे कुल खर्च राशि से Capital Expenditure खर्चे का अनुपात।

(अमृत शहरी निकायों के लिए) (Maximum Marks 20)

Achievement Range	More Than 40%	Between 30% to 40%	Between 20% to 30%	Less Than 20%
Marks	20	15	10	0
निकाय द्वारा किये जा रहे कुल खर्चे में **Capital Expenditure** खर्चे का अनुपात (इस हेतु निकाय की आय में **Grants, Schemes, Programmes** एवं हस्तानान्तरण के द्वारा अन्य सभी आय शामिल है)				

(अन्य शहरी निकायों के लिए) (Maximum Marks 20)

Achievement Range	More Than 20%	Between 15% to 20%	Between 10% to 15%	Less Than 10%
Marks	20	15	10	0
निकाय द्वारा किये जा रहे कुल खर्चे में **Capital Expenditure** खर्चे का अनुपात (इस हेतु निकाय की आय में **Grants, Schemes, Programmes** एवं हस्तानान्तरण के द्वारा अन्य सभी आय शामिल है)				

उपरोक्त दोनों मापदण्डों के निर्धारण हेतु वित्त वर्ष 2016–17 के RBE- Revised Budget Estimate का उपयोग किया जा सकता है।

मापदण्ड **C** - निकाय द्वारा सर्विस लेबल बैंच मार्क का प्रकाशन किया जाना।

A. Water Supply -

1) Coverage **(Maximum marks 15)**

Achievement Range	Between 90% to 100%	Between 80% to 90%	Between 70% to 80%	Less Than 70%
Marks	15	10	5	0
Water Supply				

Scanned by CamScanner

2) Reduction in NRW (Maximum marks 15)

Achievement Range	Less Than 20%	Between 20% to 30%	Between 30% to 40%	Above 40%
Marks	15	10	5	0
ILB achieving benchmark of Non-Revenue Water (NRW)				

3) Coverage of Water Supply for Public/Community Toilets (Maximum marks 10)

Percentage	100% PT/CT Covered	Less than 100%
Marks	10	0
ILB achieving benchmark of Non-Revenue Water (NRW)		

B. Solid Waste Management: -

Coverage (Maximum marks 10)

Achievement Range	More than 50%	Between 20% to 50%	Less Than 20%
Marks	10	5	0
%age of waste being processed scientifically			

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया –

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीन Annexure जारी किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Annexure 'A'

Part of Annexure 'A'	ब्योरा जो कि उपरोक्त Annexure में दिया जाना है	Annexure जिसके द्वारा जारी किया जायेगा	Annexure जिसको जारी किया जायेगा	निर्धारित समय सीमा
Part 'A'	State द्वारा निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु Short Listed किये गये योग्य निकायो की सूची।	राज्य सरकार	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	31 October of Each Year
Part 'B'	Undertaking from the State Government	राज्य सरकार	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	

Annexure 'B'

ब्योरा जो कि उपरोक्त Annexure में दिया जाना है	Annexure जिसके द्वारा जारी किया जायेगा	Annexure जिसको जारी किया जायेगा	निर्धारित समय सीमा
Claim Form of ULB's (निकाय द्वारा तैयार दावा प्रपत्र)	संबंधित निकाय	राज्य सरकार	31 October of Each Year

Annexure 'C'

ब्योरा जो कि उपरोक्त Annexure में दिया जाना है	Indicated list of steps which may be taken by the State Government to Verify and evaluate the claims of ULBs	निर्धारित समय सीमा
निकार्यो द्वारा प्रेषित किये गये दावा फार्मो को Verify & Evaluation किये जोन संबंधित।	1. Third Party evaluation 2. Random verification by official teams. 3. Other type of audits (Chartered Accountants). 4. Cross verifactions with other reports like credit rating etc. 5. Cross checking at State level with figures of devolutions and schemes grants.	31 October of Each Year

Scanned by CamScanner

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु योग्य राज्यों को अनुदान राशि जारी किये जाने हेतु वित्त मंत्रालय को प्रतिवर्ष 30 नवम्बर तक Recommendation भेजेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय को Recommendation किये जाने से पूर्व Third Party के माध्यम से पात्र शहरी निकायों का Random Basis पर Evaluation & Verification कराया जायेगा एवं इसके उपरान्त ही मंत्रालय द्वारा शहरी निकायों को निष्पादन अनुदान जारी किये जाने की अभिशंषा की जायेगी।

अतः सभी निकायो को निर्देशित किया जाता है कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आधार पर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अपनी निकाय का स्वंय मूल्यांकन करते हुये **Annexture-B** (संलग्न फॉरमेट) को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के **smart.net protal** पर **दिनांक 30.09.2017** तक आवश्यक रूप से अपलोड करते हुये विभाग को एक प्रति भिजवावे, जिससे विभाग द्वारा सूचना संकलित कर जांच उपरान्त भारत सरकार को सिफारिश की जा सके।

निर्धारित अवधि तक सूचना अपलोड नहीं किये जाने एवं विभाग को सूचना नहीं भिजवाये जाने वाली निकाय स्वतः ही कार्य निष्पादन अनुदान हेतु अपात्र होगी जिसकी जिम्मेदारी स्वंय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की होगी।

नोट– भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश एवं Execl Sheet (Annexture-B) सभी निकायो को जरिये ई–मेल भिजवाया गया है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक/प.6(ट)(320)लेखा/लेखा/14एफसी/निष्पादन अनु./2016–20/8189-203 दिनांकः 2-8-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. सचिव, शहरी विकास मत्रांलय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
02. निदेशक, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिविजन, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लॉक नं0 XI 5 मंजिल लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, सचिवालय जयपुर।
04. संयुक्त सचिव, वित्त (EAD) विभाग, सचिवालय जयपुर।
05. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार अधीनस्थ नगरीय निकायो को पालना कराने हेतु।
06. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
07. परियोजना निदेशक, निदेशालय।
08. Municipal Finance Reform Cell निदेशालय को सूचना संकलित करने हेतु।
09. प्रभारी अधिकारी, बेवसाईट/समन्वयक, सीएमआर को बेवासाईट पर अपलोड करने हेतु।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner